न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- तृतीय, सहारनपुर।

सरकार बनाम मेहरबान आदि

धारा-303(2),317(2) बी.एन.एस.

थाना- कोतवाली नगर, सहारनपुर।

मुकदमा अपराध संख्या- 58/ 2026

08.04.2026

मुकदमा अपराध संख्या- 58 / 2026, धारा-303(2),317(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मेहरबान व अहसान उर्फ शानू** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण की जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष है और प्रार्थीगण को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वाद उक्त में कोई भी साक्षी पब्लिक का नहीं है जिससे भी कहानी अभियोजन पक्ष झूठी व फर्जी साबित होती है। अभियुक्तगण दिनांक 02.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु आज ही बल दिया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण पर वादी की मोटरसाइकिल चोरी करने व बरामद होने का आरोप है। साथ ही अभियुक्तगण निम्नलिखित अन्य 05 मुकदमों में भी अभियुक्तगण है-

1- 143/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस.एस. थाना बेहट सहारनपुर।
2- 144/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस.एस. थाना बेहट सहारनपुर।
3- 145/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस.एस. थाना बेहट सहारनपुर।
4- 146/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस.एस. थाना बेहट सहारनपुर।
5- 151/2026 धारा 3(5),317(2),317(5),336(2) बी.एन.एस.एस. थाना बेहट सहारनपुर।

इसलिये यदि अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किया जायेगा तो उसके द्वारा पुनः कोई न कोई अपराध कारित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नही है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मेहरबान व अहसान उर्फ शानू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – तृतीय
सहारनपुर